

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04/ख0वि0अधि0-01/11(खंड-1)- 10127 खाद्य, पटना/दिनांक- 28.12.2011

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्सों को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है । ज्ञातव्य है कि बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान अधिप्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम के अलावा पैक्सों को भी किसानों से अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है । भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में धान अधिप्राप्ति एजेन्सियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्सों को कितनी राशि देय होगी, इस संबंध में पूर्व में समय-समय पर कई स्तरों से निर्देश निर्गत होते रहे हैं, जिससे पैक्सों के बीच संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ।

इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित संशोधित आकस्मिक (Incidentals) व्यय की दरें सूचित की जा रही हैं -

क्र0 सं0	आकस्मिक व्यय विवरणी	भारतीय खाद्य निगम का मानक दर	पैक्सों को देय राशि (रूपए प्रति क्विंटल)
1	मण्डी लेबर चार्ज/हैन्डलिंग चार्ज	6.71	3.35
2	परिवहन व्यय/पैक्स क्रय केन्द्र से राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र तक	12.14	12.14
3	पैक्सों (समितियों) को प्राप्त कमीशन/न्यूनतम समर्थन मूल्य का @ 2.5 %	27.00	27.00

उपरोक्त के अलावा पैक्सों को निम्नांकित राशि भी देय होगी :-

(क) राज्य खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्राप्त होने वाले दो माह के व्याज में से 15 दिन का व्याज राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को भुगतान किया जाएगा । यह राशि धान अधिप्राप्ति के लिए दिये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा ।

